न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खूँटी

SAR Appeal वाद सं0–03R15 / 2007–08

कुंवर सिंह – अपीलकर्त्ता

बनाम्

कोयलो उरांव वगैरह – विपक्षीगण

आदेश

आदेश क्रमांक / तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारियों का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि साहित Action taken on order with date
09.07.2021	यह अपील वाद विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के SAR वाद सं०– 28 / 2004 लंगड़ु उरांव बनाम कुंवर सिंह में Bihar Scheduled Areas Regulation 1969/CNT Act 1908 की धारा 71(A) के तहत दिनांक 22.03.2007 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी कुंवर सिंह पे० स्व० मेघनाथ सिंह साकिन– डुमारी, थाना– कर्रा द्वारा दिनांक 25.04.2007 को विद्वान अपर समाहर्त्ता, राँची के न्यायालय में दायर किया गया जिसे विद्वान अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा सुनवाई हेतु स्वीकृत किया गया। खूँटी जिला गठन के पश्चात यह अपीलवाद विद्वान अपर समाहर्त्ता, राँची के पत्रांक 2904 (II) / रा० दिनांक 13.09.2007 द्वारा विद्वान उपायुक्त, खूँटी के न्यायालय को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात दिनांक 30.05.2009 को यह अभिलेख इस वाद के अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ है। दायर Memo Of Appeal, विपक्षीगण द्वारा समर्पित Written Arguments, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अपील अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात वाद का विवरण निम्न प्रकार है– प्रश्नगत भूमि इस जिले के अंचल–कर्रा, मौजा–डुमारी थाना नं0–82, खाता नं०–29 प्लॉट सं०–280 कुल रकबा–10.00 ए० सर्वे खतियान में लंगड़ु उरांव वल्द केन्दुवा उरांव कौम–उरांव साकीन देह नवैयत कायमी दर्ज है। इसी खेसरा 280 के कुल खतियानी रकबा–10.00 ए० के मधे 2.50 ए० भूमि को लेकर उभय पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में अध–वटाई खाता नाम लगान पाने वाला शामीलात मालीकान खेवट नं०–2 / 3 के रूप में दर्ज है। खेवट नं०–01 एवं 02 अपीलार्थी के पूर्वज के नाम से संधारित है। साथ ही लंगड़ु उरांव पिता–कनदुआ उरांव द्वारा इस खेसरा का संम्पूर्ण रकबा–10.00 ए० वर्ष 1934 में Superior रैयत को Surrender कर दिया गया है। तब से प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के पूर्वज के दखल कब्जे मे चला आ रहा है। अपीलार्थी का कहना है इनके द्वारा वर्ष 1956 तक भूतपूर्व जमीनदार को एवं जमीनदारी उन्मुलन के पश्चात राज्य	

सरकार को लगान नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। जबकि विपक्षीगण को कोई भी लगान रसीद निर्गत नहीं है। प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में अध–वटाई के रूप में दर्ज होने की स्थिति में अपर समाहर्त्ता द्वारा भूमि सुधार अधिनियम के तहत वाद सं०–58R VIII / 1955–56 बैजनाथ सिंह पिता–महादेव सिंह का लगान निर्धारण किया गया है। साथ ही पूर्व जमीनदार द्वारा प्रश्नगत भूमि सहित अन्य भूमि का Return इन्हे रैयत दर्शाते हुए समर्पित किया गया है। तद्नुसार बैजनाथ सिंह के नाम पंजी–II संधारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि सहित अन्य भूमि को मेघनाथ सिंह एवं बैजनाथ सिंह पिता–महादेव सिंह के नाम बंटवारा हो चुका है। बंटवारा गांव के गणमान्य एवं दोनो हिस्सेदारों के बीच हुआ है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया है। बंटवारा के पश्चात ये सभी आवंटित भूमि पर दखल काबिज हुए एवं लगान भुगतान कर लगातर लगान रसीद प्राप्त कर रहे हैं। अपीलार्थी खेवटदार के वंशवृक्ष से आते हैं। इस आधार पर इनके द्वारा सभी कागजातों की प्रति समर्पित करते हुए विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के न्यायालय में SAR वाद खारिज करने का प्रार्थना किया, परन्तु विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा संगत SAR वाद स्वीकृत कर लिया गया जिससे विक्षुब्ध होकर इनके द्वारा यह SAR Appeal वाद दायर किया गया है एवं SAR वाद सं०–28 / 2004 में दिनांक–22.03.2007 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

दूसरी तरफ विपक्षीगण का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वज लंगड़ु उरांव, पिता–कनदुआ उरांव नवैयत कायमी उपज का आधा लगान के रूप में दर्ज है जो सर्वे खतियान के कॉलम 3, 4, 5 के अवलोकन से स्पष्ट है। विपक्षीगण खतियानी रैयत के परपोता है। अपीलार्थी द्वारा खतियानी रैयत लंगड़ु उरांव द्वारा प्रश्नगत भूमि को पूर्व जमीनदार को वर्ष 1934 को Surrender करने के दावे का खण्डन करते है। इसे गलत एवं मनगढ़ंत बताते हैं। जमीनदारी उन्मुलन के पश्चात खाता सं०–29 भूमि का लुसा उरांव, पिता–लंगड़ु उरांव एवं अन्य के पक्ष में नामान्तरण किया गया है एवं लगान का भुगतान कर रहे हैं तथा इन्हे लगान रसीद निर्गत किया जाता रहा है। खतियानी रैयत लंगड़ु उरांव के 3 (तीन) पुत्र 1. लुसा उरांव 2. चमरा उरांव एवं 3. रंसी उरांव हुए। विपक्षीगण चमरा उरांव के पोते है एवं खतियानी रैयत के परपोते है। लुसा उरांव एवं रंसी उरांव की मृत्यु निःसन्तान हो चुकी है। वर्त्तमान में विपक्षीगण ही खतियानी रैयत लंगड़ु उरांव के मात्र वैधिक उराधिकारी है। इनके द्वारा अपने समर्थन में लगान रसीद की प्रति समर्पित किया गया है।

ये विपक्षीगण खतियानी रैयत लंगड़ु उरांव द्वारा प्रश्नगत भूमि को Superior रैयत को Surrender करने का अपीलार्थीगण के दावे का खण्डन करते हैं एवं अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि का दावा एवं दखल–कब्जा को CNT Act की धारा–46 का उल्लंघन बताते हैं। तदनुसार नामान्तरण एवं

लगान रसीद निर्गत करने की कार्रवाई को विधिक/नियमित नहीं मानते हैं। विपक्षीगण द्वारा अपीलार्थी के उपर्युक्त छलपूर्वक की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं होने एवं जानकारी होने पर विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के न्यायालय में SAR वाद दाखिल करना निर्धारित अवधि का काल बाधित होना नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश यथोचित एवं न्यायपूर्ण है। यह अपील खारिज योग्य है।

इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के वाद संख्या– CWJC No. 1823 of 1997 (R), Decided on August 19, 2004 कन्हाई दास बनाम बिहार सरकार एवं अन्य, वाद सं०–(C.W.J.C. No. 1202 of 1982 (R) Decided on july 27, 1987) देवतु ओहदार वनाम बिहार सरकार एवं अन्य तथा वाद सं०– CWJC No. 284 of 2000 (R) (4.7.2001) सुनील कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेशों की प्रति समर्पित किया गया है।

उपर्युक्त परिस्थिति में समस्त साक्ष्यों के विश्लेशण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि लंगड्डु उरांव वल्द कनदुआ उरांव कौम–उरांव साकीन देह कायमी वेहन वो चास का खरचा रैयत देता है गल्ला नीशम मालीक वो नीशम रैयत लेता है पुआल वो भुशा रैयत लेता है अधवटाई में भोश के रूप में सर्वे खतियान में दर्ज है। इस प्रकार विपक्षीगण के पूर्वज प्रश्नगत भूमि के कायमी रैयत है एवं इनके द्वारा तत्कालीन पूर्व जमीनदार को प्रश्नगत भूमि Surrender करने संबंधी प्रमाण अपीलकर्त्तागण द्वारा समर्पित नहीं किया जा सका है। अपीलार्थी के नाम नामान्तरण के पश्चात पंजी–II संधारित होना लगान भुगतान करना तथा प्रश्नगत भूमि पर दखल काबिज होना छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रवधानों के प्रतिकूल छलपूर्वक की गई कार्रवाई प्रतीत होता है।

ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि का विपक्षीगण के पक्ष में Bihar Scheduled Areas Regulation Act 1969/CNT Act 1908 की धारा 71(A) के तहत अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा SAR वाद सं०–28/2004 में दिनांक–22.03.2007 को पारित आदेश में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार इस वाद का निस्तार किया जाता है

आदेश की प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी एवं अंचल अधिकारी, कर्रा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

9.7.2021

अपर समाहर्त्ता,
खूँटी

9.7.2021

अपर समाहर्त्ता,
खूँटी

Digitally signed by Arvind Kumar
Date: 2021.07.19 15:52:11 +05:30
Location: 192.168.43.12